

No. 7/1/2014-3AR
GOVERNMENT OF HARYANA
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Chandigarh,
Dated: 28th September, 2016

Subject: Appointment of Commissioner in the Haryana Right to Service Commission.

The Government of Haryana has constituted a body under the Haryana Right to Service Act, 2014, known as the Haryana State Right to Service Commission to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under the Act. It is located in Chandigarh. The Commission shall have a Chief Commissioner and upto four Commissioners. The powers and functions of the Chief Commissioner and Commissioner in the Commission shall be as per section 14 of the Act.

It is proposed to appoint Commissioner (after retirement of Lt. Gen. (Retd.) V.S.Tonk) in the Commission. The Act provides that atleast two of the Commissioners shall be retired officers of the Government of Haryana in the rank and status of a Administrative Secretary or its equivalent rank and status in any of the service of the State, including officers of All India Services from the Haryana cadre and other Commissioners shall be persons of eminence in public life with atleast twenty years experience in management, law, administration or corporate governance.

The Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon the office or until he attains the age of sixty five years whichever is earlier and he shall not be entitled for re-appointment. The salary and allowances payable and other terms and conditions of service applicable to the Commissioner shall be the same as those of the State Information Commissioners as laid down in sub section(5) of the Section 16 of the Right to information Act, 2005.

The Government have constituted a Search Committee to search for and recommend suitable candidates to the Statutory Committee, constituted under section (1) of section 13 of the Haryana Right to Service Act, 2014 for appointment of Commissioner in the Haryana Right to Service Commission.

It is made clear that while applying for the post of Commissioner, the applicant must indicate:

- i) Whether any criminal case has been registered against him/her?
If yes, details thereof.
- ii) Whether the applicant has been charge sheeted for any criminal offence?
If yes, details thereof.
- iii) Whether the applicant has been convicted by any competent court for any criminal offence?
If yes, details thereof.

Persons fulfilling the criteria for appointment as Commissioner and interested for appointment to the post, may send their particulars in the proforma appended to these instructions to the office of Secretary to Government of Haryana, Administrative Reforms Department, Room No. 38, 9th Floor, Civil Secretariat Haryana with in 30 days from the issue of these instructions. Persons who is serving under State/Central Government or any other organisation may send their particulars through proper channel.

[The Haryana Right to Service Act, 2014 is available of website (<https://csharyana.gov.in>)]

Secretary to Government Haryana
Administrative Reforms Department

**Proforma for sending application for the post of Commissioner in the Haryana
Right to Service Commission.**

Please affix the
latest passport
size photograph

1. Name:
2. Date of Birth:
3. Present Address:
4. Contact No.:
 - a) Telephone (along with STD code):
 - b) Mobile:
 - c) Fax:
5. E-mail Address:
6. Educational qualifications:
7. Area of Eminence:
8. Present Occupation:
9. Whether any criminal case has been registered against you?
If yes, details thereof.
10. Whether you have been charge sheeted for any criminal offence?
If yes, details thereof.
11. Whether you have been convicted by any competent court for any criminal offence?
If yes, details thereof.
12. Achievements/ work Experience:
(in brief)

Date:
Place:

Signature:
Name:

विषय: — हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में आयुक्त की नियुक्ति बारे।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अधिन दी गई शक्तियों का प्रयोग करने तथा सौंपे गए कार्यों को करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बॉडी का गठन किया है जो कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के नाम से जाना जाता है। यह चण्डीगढ़ में स्थित है। आयोग में एक मुख्य आयुक्त तथा चार आयुक्त तक शामिल होंगे। मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों की शक्तियां तथा कार्य अधिनियम की धारा 14 के अनुसार होंगे।

ले0 जनरल (सेवा निवृत्त) वी0एस0 टोंक, आयुक्त की सेवा निवृत्ति उपरान्त आयोग में आयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव है। अधिनियम के अनुसार आयोग में कम से कम दो आयुक्त प्रशासकीय सचिव की पदवी तथा हैसियत या हरियाणा संवर्ग से अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित राज्य की किन्हीं सेवाओं में इसके समकक्ष पदवी तथा हैसियत में हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे तथा अन्य आयुक्त प्रबन्धन, विधि, प्रशासन या कॉरपोरेट शासन में कम से कम बीस वर्ष के अनुभव सहित लोक-जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

आयुक्त पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष अवधि के लिये या जब तक वह 65 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता है, जो भी पहले हो, तक पद धारण करेगा। तथा वह पुनर्नियुक्ति के लिये हकदार नहीं होगा। आयुक्त को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उपधारा 5 में राज्य सूचना आयुक्तों के लिए अधिकथित है।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में आयुक्त की नियुक्ति के लिए, योग्य उम्मीदवार की खोज और उसकी सिफारिस, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 के अधिन गठित वैधानिक समिति, को करने के लिए सरकार द्वारा एक खोज समिति का गठन किया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी आयुक्त के पद के लिए आवेदन करते समय दर्शायेगा कि:

1. क्या उसके विरुद्ध कोई अपराधिक मामला पंजीकृत है ?
यदि हाँ, उसका ब्यौरा।
2. क्या आवेदक किसी अपराधिक अपराध के लिए चार्जशीट किया गया है ?
यदि हाँ, उसका ब्यौरा।
3. क्या आवेदक को किसी अपराधिक अपराध के लिए किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया है ?
यदि हाँ, उसका ब्यौरा।

आयुक्त के रूप में नियुक्ति और के लिए इच्छुक एवं नियुक्ति के लिए मानदण्डों को पूरा करने वाले व्यक्ति इन हिदायतों के साथ सलग्न प्रोफार्मा में उनसे सम्बन्धित विवरण, सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासनिक सुधार, कमरा न0 38, नौवीं मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़ को इन हिदायतों के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर भेजेगे । जो व्यक्ति राज्य/केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अधिन सेवारत है । वे अपना ब्यौरा उचित माध्यम से भिजवायेगें ।

(हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 वेबसाईट <https://csharyana.gov.in> पर उपलब्ध है) ।

सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासनिक सुधार विभाग।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में आयुक्त के पद के लिए प्रोफार्मा

नवीनतम पासपोर्ट
आकार का फोटो
चिपकायें

1. नाम :
2. जन्म तिथि:
3. वर्तमान पता:
4. सम्पर्क न०:
 - क) दूरभाष (एस0टी0डी0 कोड सहित):
 - ख) मोबाईल:
 - ग) फ़ैक्स:
5. ई-मेल पता:
6. शैक्षणिक योग्यता:
7. प्रतिष्ठिता का क्षेत्र:
8. वर्तमान व्यवसाय:
9. क्या आपके खिलाफ कोई अपराधिक मामला दर्ज है?
यदि हों, तो उसका विवरण।
10. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए चार्जशीट किये गये हैं?
यदि हों, तो उसका विवरण।
11. क्या आप किसी अपराधिक अपराध के लिए किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराये गये हैं?
यदि हों, तो उसका विवरण।
12. उपलब्धियां/काम करने का अनुभव :
(संक्षेप में)

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर
नाम :